न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 44/2021

अपीलार्थी–	*बनाम*	उत्तरदाता–
वीरचन्द पुत्र सोनाराम जाति दर्जी निवासी पुराना गांव, नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.12.2021 जो प्रकरण सं. 16/2021 मे तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.01.2022

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण सं. 16/2021 सरकार बनाम वीरचन्द मे पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि हलका पटवारी नगोणी धतरवालों की ढाणी द्वारा तहसीलदार बायतु के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुराना गांव के खसरा नम्बर **1026/792** रकबा **1.2944 हैक्टर** किस्म गैर मुमकिन पाइतन सरकारी भूमि में से **1332 वर्गफीट** पर गैर सायल **वीरचन्द पुत्र सोनाराम जाति दर्जी** साकिन **पुराना गांव (नगोणी धतरवालों की ढाणी)** द्वारा कब्जा करके, नींव व पत्थर डालकर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

कार्यवाही की जावें। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बायतु द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायलान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार बायतु द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **06.12.2021** के द्वारा **50/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट की आरे से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 91 के तहत जवाब हेतु नोटिस जारी किया तथा पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 25.11.2021 को नियत की गई। अपीलांट की ओर से नियत दिनांक पर अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया तथा दिनांक 06.12.2021 को जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों का विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं होना अंकित किया है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुतनाजा भूमि खसरा नंबर 792, 766 [illegible] जरीब से पैमाईश करने हेतु निवेदन किया किन्तु उक्त प्रार्थना–पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर विवादित भूमि का जरीब से पैमाईश की जाती तो अपीलाथी का कब्जा अपनी खातेदारी भूमि में ही पाया जाता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हलका पटवारी द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है एवं अपीलांट पर मनगढत एवं बेबुनियाद रूप से अतिक्रमण का आक्षेप लगाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब एवं दस्तावेजों को विचार किये बिना एवं पत्रावली का परीक्षण के बिना ही आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के खातेदारी खेत के समीपस्थ सरकारी भूमि तहसील कार्यालय क्वाटर्स की आई हुई है जिसकी पैमाईश उपरान्त चारदीवारी निर्मित है। ऐसे में उक्त चारदीवारी के बाहर सरकारी भूमि पर अपीलांट का अवैध अतिक्रमण समझ से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनीतिक दबाव में एवं खसरा नंबर 792 के खातेदारान को रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपीलाधीन कार्यवाही बदनीयतीपूर्ण की गई है। अपीलांट के पिता द्वारा अपने खातेदारी भूमि के संबंध में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के न्यायालय में एक राजस्व वाद धार 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है जिसके साथ धारा 212 के आवेदन पत्र में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आदि नहीं करने एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश भी जारी किया है जो प्रभावी है। इसी भूमि के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर से भी मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थित बाबत स्थगन जारी किया गया है जो प्रभावी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त आदेशों को अनदेखा करते हुए एवं अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाब पर विवेचन एवं परीक्षण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 16/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.1[illegible] अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

5. रेस्पोडेंट की ओर [illegible] जवाब में राज[illegible] अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध [illegible] धतरवालों की ढाणी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम पुराना गांव के खसरा नम्बर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

1026/792 रकबा 1.2944 **हैक्टर** किस्म गैर मुमकीन क्वाटर्स भूमि में से 1332 **वर्गफुट** पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलाधीन सरकारी क्वाटर्स की भूमि पर अपीलांट द्वारा झोंपा, चीणें व पत्थर डालकर अतिक्रमण किया है तथा वह अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में तहसील कार्यालय की ओर से हलका पटवारी द्वारा जीपीएस से त्रुटिरहित पैमाईश में गैर मुमकिन सरकारी भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही हेतु प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

6. हमनें अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रकट तथ्यों एवं तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने खातेदारी भूमि पर कब्जा व आधिपत्य होना प्रकट किया है तथा क्वार्टस की भूमि उससे भिन्न होना प्रकट किया है, किन्तु पैमाईश में उक्त कब्जा सरकारी भूमि पर होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा भूमि की पैमाईश किये जाने का निवेदन किया है जबकि हलका पटवारी द्वारा जीपीएस से माप के उपरान्त मामला पेश किया गया है। इससे जाहिर है कि अपीलांट यह भली–भांति जानता है कि उसका मुतनाजा भूमि पर अवैध अतिक्रमण है जिसे जानबूझकर हटाना नहीं चाहता है। अपीलांट द्वारा इस अपील में मुतनाजा गैरमुमकिन सरकारी क्वार्टर्स की भूमि पर आधिपत्य के संबंध में अपने विधिक अधिकार के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं और न ही गैरमुमकिन सरकारी क्वाटर्स की भूमि पर किसी को अधिकार प्राप्त हो

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

सकते हैं। ऐसे में अपीलांट इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक–स्वामित्व साबित करने में विफल रहा हैं तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक **06.12.2021** यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बायतु को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

8. निर्णय आज दिनांक **25.01.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.04 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested